

**महिला कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार सहायतित बाल संरक्षण सेवाएँ (सी0पी0एस0) योजना के अन्तर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई गाजियाबाद में संरक्षण अधिकारी, संस्थानिक देखभाल के (संविदात्मक पद) के लिये विज्ञप्ति**

महिला कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार सहायतित समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद में जिला बाल संरक्षण इकाई के लिये निम्नलिखित पदों के लिये आवेदन पत्र शासनादेश संख्या 3007/60-1-12-1/13(71)/06 दिनांक 04.09.2012 के क्रम में संशोधित शासनादेश संख्या-1860/60-1-14-1/3(71)/06 दिनांक 09.12.2014 के अनुसार आमन्त्रित किये जाते हैं :-

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	आयु	नियत मानदेय (रु०में)	अर्हता	पदों की प्रकृति एवं अवधि
1.	संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक देखभाल )	01	25 से 45 वर्ष (01 जुलाई 2021 को)	रु०-21,000 /प्रतिमाह	1.भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्नलिखित किसी एक विषय यथा सामाजिक कार्य/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान में स्नातक उपाधि। <b>अनुभव-</b> 1.बच्चों की देख रेख एवं पूनर्वास के क्षेत्र में 01 वर्ष तक कार्य का अनुभव। 2.हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के लेखन एवं बोलने में दक्षता। 3.कम्प्यूटर संचालन में दक्षता।	पद की प्रकृति- संविदा पर। अवधि-संबंधित कार्मिक का प्रति वर्ष मूल्यांकन किया जायेगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर कार्यकाल अधिकतम 05 वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।

**आवश्यक निर्देश :-**

1. उपर्युक्त पदों पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव से उच्च मानक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों की संख्या को एक उचित सीमा तक सीमित किया जा सकता है।
- 2- सरकारी सेवा में कार्यरत उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र संबन्धित कार्यालय/विभाग के माध्यम से भेजें।
- 3- वभाग डाक में विलम्ब के कारण लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में बुलावा पत्र देरी से प्राप्त होने/प्राप्त नहीं होने के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।
- 4- चयन प्रक्रिया के बाद केवल चयनित उम्मीदवारों को उनके चयन की सूचना भविष्य में दी जायेगी और इस विषय पर कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- 5- चयन समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- 6- आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 11.07.2021 होगी। समस्त आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से प्राप्त होने पर ही स्वीकार किया जायेंगे विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 7- समस्त शैक्षिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य अभिलेख निर्धारित आवेदन पत्र पर अंकित करते हुये संबन्धित अभिलेखों की स्वामाणित प्रतियाँ संलग्न करते हुये जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, कमरा न०-123, विकास भवन गाजियाबाद को प्रेषित की जायेंगी।
- 8- आवेदन पत्र के लिहाफे पर जिला बाल संरक्षण इकाई, पद का नाम, जनपद का नाम स्पष्ट अंकित हो।
- 9- साक्षात्कार/लिखित परीक्षा हेतु आने जाने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 10- प्रिंटिंग में किसी भी त्रुटी के लिये विभाग की अधिकृत वेबसाइट ही मान्य होगी। वेबसाइट <https://ghaziabad.n.c.in> पर आवेदन पत्र उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, कमरा न० 123 विकास भवन, कलेक्ट्रेट गाजियाबाद से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 11- किसी भी स्थिति में न्यायिक क्षेत्र गाजियाबाद होगा।

जिला प्रोबेशन अधिकारी  
गाजियाबाद

कार्यालय

जिला

प्रोबेशन

अधिकारी

गाजियाबाद

पत्रांक 836-38/प्रो0का0/विज्ञप्ति/2021-22 दिनांक 25-6-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक महिला कल्याण उ0 प्र0 लखनऊ।
- 4- उप निदेशक, सूचना, गाजियाबाद को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति सरकारी दरों पर अमर उजाला एवं रंग करवट के गाजियाबाद संस्करणों में प्रकाशित कराने को कष्ट करें।

25-06-21  
जिला प्रोबेशन अधिकारी  
गाजियाबाद



5- पुरस्कार/सुविधायें (यदि कोई हो)

6- स्वैच्छिक संगठन में किये गये कार्य का अनुभव (यदि कोई हो)

7- क्या आपके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक रिकार्ड है? यदि हाँ तो उल्लेख करें।

8- क्या आप विकलॉग हैं? (यदि हाँ तो विवरण संलग्न करें)

9- अन्य कोई विवरण, जो उक्त पद के लिये आवश्यक हो:-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र तथा इसके अनुलग्नकों में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गये समस्त मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं। मैं बचन देता हूँ कि यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई सूचना भविष्य में किसी भी समय पर मिथ्या पाई जाती है तो इससे अवेदित पद के लिये अपात्र हो जाऊँगा।

दिनांक:-

स्थान:-

अनुलग्नक -

(हस्ताक्षर)

उम्मीदवार का नाम-----

1- समस्त शैक्षिक योग्यता की सप्रमाणित प्रति

2- अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति

3- अन्य कोई अभिलेख जो आवश्यक हो।